

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:-डॉ0 अरुण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या:- 48/2026

श्री नरेश कुमार गुर्जर, निवासी नंगली निर्वाण, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333012,
मो0नं0 9149819269

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 05.03.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 12.02.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 48/2026 पर दिनांक 12.02.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/384-385 दिनांक 12.02.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी ने पत्रांक सू0अ0अ0/2026/49 दिनांक 24.02.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री नरेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री बनजी राम गुर्जर, निवासी नंगली निर्वाण, तहसील गुढागौडजी जिला झुंझुनूं द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना जरिये ऑनलाईन चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक आरटीआई/2025/42 दिनांक 16.02.2026 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक व ऑनलाईन उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी ने पत्रांक सू0अ0अ0/2026/49 दिनांक 24.02.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री नरेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री बनजी राम गुर्जर, निवासी नंगली निर्वाण, तहसील गुढागौडजी जिला झुंझुनूं द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना जरिये ऑनलाईन चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक आरटीआई/2025/42 दिनांक 16.02.2026 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक व ऑनलाईन उपलब्ध करवा दी गई है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक होने से देय नहीं है जिसके संबंध में प्रार्थी को जरिये पत्र अवगत कराया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है। अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 05.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरुण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं